पत्रांक–योजना बजट–06 / 2014 / प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......... / 06 / 2015

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक चलने वाली नहर तट फार्म योजनान्तर्गत वन प्रमंडल, पूर्णियाँ के विभिन्न प्रक्षेत्र में नहर किनारे वर्षाकालीन पौधा लगाने हेतु पूरी योजना राशि ₹ 104.93 लाख (एक करोड़ चार लाख तिरानवे हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 48.51 लाख (अड़तालीस लाख इकावन हजार ₹) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक चलने वाली नहर तट फार्म योजनान्तर्गत वन प्रमंडल, पूर्णियाँ के विभिन्न प्रक्षेत्र में संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप नहर किनारे वर्षाकालीन पौधा लगाने हेतु पूरी योजना राशि ₹ 104.93 लाख (एक करोड़ चार लाख तिरानवे हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 48.51 लाख (अड़तालीस लाख इकावन हजार ₹) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, मांग संख्या–19, उप शीर्ष–01 01–नहर तट फार्म, विपत्र कोड–P2406018000101 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी एवं 21 01–सामग्री एवं पूर्त्तियाँ तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–19, उप शीर्ष– 01 02–नहर तट फार्म, विपत्र कोड–P2406017890102 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०–22/टि० पर दिनांक–09.06.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति एवं प्रारूप में संचिका के पृ०–21/टि० पर दिनांक–09.06.2015 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. संभावित मजदूरी दर वृद्धि के कारण इस योजना की प्राक्कलित राशि में 10% वृद्धि कर स्वीकृति दी जा रही है। अतएव संबंधित योजना के कार्यान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न परिशिष्ट–1) में दर्शाया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता हाती है तो इसके लिए इस योजना के निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में संलग्न सभी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दो रंगीन छाया–चित्र तिथि के साथ अभिलेख संबंधित

कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा इसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना एवं अनुश्रवण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–06/2014 1763 /प०व० पटना–15, दिनांक–10/06/2015

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना आई०टी०(मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

क्र० सं०	जिला	प्रखंड	प्रक्षेत्र	कार्य स्थल का नाम	रैखिक दूरी कि.मी. में	पीट की संख्या	माउंड की संख्या	कुल पौधों की संख्या	प्राक्कलित राशि			[illegible]
									2015-16	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पूर्णियाँ	कसवा	पूर्णियाँ	सबदलपुर माईनर 0 से 23 आर.डी.	6	6000	3000	9000	1125229	639875	639875	[illegible]
2	पूर्णियाँ	कसवा	पूर्णियाँ	एकम्बा माईनर 0 से 16 आर.डी.	5	5000	2500	7500	939357	533563	533563	[illegible]
				योगः-	**11**	**11000**	**5500**	**16500**	**2064586**	**1173438**	**1173438**	[illegible]
3	पूर्णियाँ	बड़हरा	वनमनखी	बड़हरा माईनर 34 से 60 आर.डी.	8	4000	4000	8000	1239288	569000	569000	[illegible]
4	पूर्णियाँ	बड़हरा	वनमनखी	वर्णेश्वर माईनर 21 से 57 आर.डी.	10	5000	5000	10000	1546610	710750	710750	[illegible]
				योगः-	**18**	**9000**	**9000**	**18000**	**2785898**	**1279750**	**1279750**	[illegible]
				कुल योगः-	**29**	**20000**	**14500**	**34500**	**4850484**	**2453188**	**2453188**	[illegible]
वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की वृद्धि कर योजना तैयार किया गया है।									**0**	**245319**	490638	[illegible]
				सकल योगः-	**29**	**20000**	**14500**	**34500**	**4850484**	**2698507**	2943826	[illegible]

or [illegible]

(रूपये एक करोड़ चार लाख तिरानवे हजार) [illegible]

प्रत्येक योजना पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी ह। जिसके आधार पर समेकित योजना कुल 104.93 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

[signature] 4/6/15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

[signature] 10/6/15

उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

[signature] 4/6/15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
बिहार, पटना।

[illegible]\BUDGET\FINANCIAL YEAR 2015-16\NTF SCHEME 2015-16\PURNIA NTF SCHEME (BARSHA KALIN) 2015-16